


## कार्यालय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जबलपुर

“दिनांक 13 अगस्त, 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक  
अदालत के संबंध में”

दिनांक 13 अगस्त, 2022 (द्वितीय शनिवार) को “नेशनल लोक अदालत” का आयोजन किया जाना है। इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, मोटर दुर्घटना से उद्भूत क्षतिपूर्ति हेतु विविध अपील, चैक अनादरण के प्रकरण, भरण-पोषण, वैवाहिक विवाद प्रकरण, भू-अर्जन संबंधी प्रकरण, रिट, रिविल प्रकरण तथा कानून समझौता योग्य प्रकरण, जो पूर्व से उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, को रामझौता के माध्यम से निराकरण किये जाने हेतु रखा जावेगा।

अतः समस्त पक्षकारों एवं विद्वान अभिभाषकों को सूचित किया जाता है कि जिनके प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर के समक्ष लंबित हैं, यदि वे अपने उपयुक्त प्रकरणों का निराकरण आपरी सहमति से कराना चाहते हैं, तथा साथ ही ऐसे अधिवक्ता एवं पक्षकार, जो अपना प्रकरण-खेद्दा से वापस लेना चाहते हैं, वे यथाशीघ्र प्रकरणों की सूची इस कार्यालय में अथवा कार्यालयीन ई-मेल के माध्यम से भेजने का कष्ट करें ताकि कॉलिस्ट प्रकाशित कराई जा सके। कार्यालय की ई-मेल आईडी mphelsc@gmail.com है।

दिनांक 19.05.2022

  
(मोहित द्विवेदी)  
रजिस्ट्रार / सं. 19/5/22